

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-8  
संख्या-281/नौ-8-2017-06एस0(बजट)/2016  
लखनऊ दिनांक 15 फरवरी, 2017  
शुद्धि-पत्र

डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट के माध्यम से मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-176/2016/3117/नौ-8-16-06एस0(बजट)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पालिका परिषद राठ, जनपद हमीरपुर को उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के अनुसार 30 किलोवाट सौर ऊर्जा संयन्त्र 200 स्ट्रीट लाइट हेतु 24 वाट ए.सी. एल.ई.डी. ल्यूमिनरी हेतु 02 अदद यूनिट के अधिष्ठापन हेतु ₹0 90.00 लाख एवं 300 वाट सोलर हाईमास्ट स्ट्रीट लाइट हेतु 20 अदद यूनिट के अधिष्ठापन हेतु ₹0 42.07 लाख अर्थात् कुल 132.07 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में कुल ₹0 40.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त सन्दर्भित शासनादेश में स्वीकृत यूनिट विषयक कालम में टंकण त्रुटि के कारण यूनिट की संख्या त्रुटिपूर्ण टंकित हो गयी है।

2- अतः उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर 2016 में 30 किलोवाट सौर ऊर्जा संयन्त्र 200 स्ट्रीट लाइट, 24 वाट ए.सी. एल.ई.डी. ल्यूमिनरी हेतु उल्लिखित " 02 अदद यूनिट" के स्थान पर "01 अदद यूनिट" पढ़ा जाय तथा 300 वाट सोलर हाईमास्ट स्ट्रीट लाइट हेतु "20 अदद यूनिट" के स्थान पर " 30 अदद यूनिट" पढ़ा जाय।

3- शासनादेश संख्या-176/2016/3117/नौ-8-16-06एस0(बजट)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर 2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय एवं शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

( उमाशंकर सिंह )  
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या- 281 (1)/नौ-8-17 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद राठ जनपद हमीरपुर को उनके पत्र संख्या-576/सोलर/2016-17 दिनांक 03 जनवरी 2017 के क्रम में ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
9. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आजा से,

( उमाशंकर सिंह )  
विशेष कार्याधिकारी।

o/c

2/1/17  
13/1/17

ओ/ए  
13/1/17

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-8

संख्या-282/नौ-8-2017-06एस0(बजट)/2016

लखनऊ दिनांक 15 फरवरी, 2017

शुद्धि-पत्र

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट के माध्यम से मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-176/2016/3117/नौ-8-16-06एस0(बजट)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पालिका परिषद कोन्च, जनपद जालौन को उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के अनुसार 30 किलोवाट सौर ऊर्जा संयन्त्र 200 स्ट्रीट लाइट, 24 वाट ए.सी. एल.ई.डी. ल्यूमिनरी हेतु 02 अदद यूनिट के अधिष्ठापन हेतु रू0 90.00 लाख एवं 300 वाट सोलर हाईमास्ट स्ट्रीट लाइट हेतु 20 अदद यूनिट के अधिष्ठापन हेतु रू0 42.07 लाख अर्थात् कुल रू0 132.07 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 40.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त सन्दर्भित शासनादेश के स्वीकृत यूनिट विषयक कालम में टंकण त्रुटि के कारण यूनिट की संख्या त्रुटिपूर्ण टंकित हो गयी है।

2- अतः उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर 2016 में 30 किलोवाट सौर ऊर्जा संयन्त्र 200 स्ट्रीट लाइट, 24 वाट ए.सी. एल.ई.डी. ल्यूमिनरी हेतु "02 अदद यूनिट" के स्थान पर "01 अदद यूनिट" पढ़ा जाय तथा 300 वाट सोलर हाईमास्ट स्ट्रीट लाइट हेतु 20 "अदद यूनिट" के स्थान पर "30 अदद यूनिट" पढ़ा जाय।

3- शासनादेश संख्या-176/2016/3117/नौ-8-16-06एस0(बजट)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर 2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय एवं शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

( उमाशंकर सिंह )

विशेष कार्याधिकारी।

संख्या- 282 (1)/नौ-8-17 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, जालौन, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
5. अध्यक्ष, सम्बन्धित नगर पालिका परिषद कोन्च को उनके पत्र संख्या-423/सोलर/2016-17 दिनांक 03 जनवरी 2017 के क्रम में ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
9. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

( उमाशंकर सिंह )

विशेष कार्याधिकारी।

21/02/17

14/2/17

o/c h

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट के माध्यम से मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-176/2016/3117/नौ-8-16-06एस0(बजट)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पालिका परिषद बांदा, जनपद बांदा को उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के अनुसार 24वाट सिंगल आर्म सोलर स्ट्रीट लाइट हेतु 10 अदद यूनिट के अधिष्ठापन हेतु रू0 5.67 लाख, 24वाट सिंगल आर्म सोलर स्ट्रीट लाइट हेतु 25 अदद यूनिट के अधिष्ठापन हेतु रू0 14.02 लाख, 15 एच0पी0 सोलर वाटर पम्प 01 अदद हेतु रू0 24.70 लाख, 300 वाट सोलर हाईमास्ट स्ट्रीट लाइट हेतु 10 अदद यूनिट के अधिष्ठापन हेतु रू0 14.02 लाख 24वाट सोलर पावर प्लान्ट फॉर आफिस हेतु 01 अदद यूनिट के अधिष्ठापन हेतु रू0 43.35 लाख, 300 वाट सोलर हाईमास्ट लाइट हेतु 02 अदद यूनिट के अधिष्ठापन हेतु रू0 28.05 लाख तथा 15 एच0पी0 सोलर वाटर पम्प 01 अदद यूनिट हेतु रू0 24.70 लाख अर्थात कुल रू0 154.45 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 55.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त सन्दर्भित शासनादेश के स्वीकृत यूनिट विषयक कालम में टंकण त्रुटि के कारण यूनिट की संख्या त्रुटिपूर्ण टंकित हो गयी है।

2- अतः उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर 2016 में 300 वाट सोलर हाईमास्ट स्ट्रीट लाइट हेतु उल्लिखित "02 अदद यूनिट" के स्थान पर "20 अदद यूनिट" पढ़ा जाय।

3- शासनादेश संख्या-176/2016/3117/नौ-8-16-06एस0(बजट)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर 2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय एवं शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

( उमाशंकर सिंह )

विशेष कार्याधिकारी।

संख्या- २४३ (1)/नौ-8-17 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, बांदा, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बांदा को उनके पत्र संख्या-997/सोलर/2016-17 दिनांक 03 जनवरी 2017 के क्रम में ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
9. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

( उमाशंकर सिंह )

विशेष कार्याधिकारी।

७/८

21/1/17

14/1/17